

तारीख
हुक्म

29/9/21

उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता
उपस्थित/अनुपस्थित। प्रकरण को
लोक अदालत में रैफर करने हेतु
दोनों पक्ष सहमत है अतः प्रकरण
लोक अदालत में रैफर किया जाता है
पक्षकारान दि 6/10/21 को लोक
अदालत में उपस्थित हो।


लोक अदालत
खीवसर


6/10/21

उक्त प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत प्रशासन
गांवों के संग अभियान-2021, कैम्प कोर्ट ग्राम
पंचायत में पेश हुआ। उपस्थित
पक्षकारान को प्रकरण में राजीनामा करने हेतु समझाया
गया। पक्षकारों के मध्य प्रकरण में राजीनामा हेतु सहमति
नहीं हो पाई। अतः प्रकरण पुनः न्यायालय में
दिनांक को पेश हो।

पीठासीन अधिकारी
प्र.ग्रा.के.अ. 2021
उपखण्ड अधिकारी
खीवसर

6/10/21

उक्त प्रकरण आज कैम्प कोर्ट वसुधाल ठांवा में पेश हुआ
प्राथी रूप अप्राथी लक्षणा। सि उ ने इन प्रकरण के
छेल गावे की जरिये विज्ञील (आपकी सहमति होने के कारण)
स्वार्थिज बुला लिया है इसलिए अब इन प्रकरण को
(अनुमान द्वारा 212 RT ACT) आगे चलाने का कोई
ओपियन प्रतीत नहीं होता है इसलिए वल प्रकरण की
भी जरिये विज्ञील स्वार्थिज किया जाना है


पीठासीन अधिकारी
प्र. ग्रा. के. अ. 2021
अधिकारी, खीवसर
पंचायत